सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 845 राँची, मंगलवार, 22 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 अक्टूबर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-105/2017-26305 (HRMS)-- श्री रंथु महतो, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशनुगढ़, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1930, दिनांक 04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध मनरेगा योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 34 मानव दिवस के सृजन होने, विशनुगढ़ प्रखंड में मात्र 61% मजदूरों का DBT के माध्यम से भुगतान होने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 988 के विरूद्ध मात्र 360 पर ही क्रियान्वयन प्रारम्भ करने, मात्र 23% जॉब कार्ड का सत्यापन करवाने, दिनांक 24.11.2016 से लम्बित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में close करने संबंधी निदेश का अनुपालन न करने एवं मनरेगा अंतर्गत 19% delay payment तथा विशनुगढ़ प्रखंड में कुल सृजित परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्र 5% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग करवाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10010, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री महतो से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-21, दिनांक 01.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु उन्हें स्मारित किया गया। इसके अनुपालन में श्री महतो का स्पष्टीकरण उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-476 दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा श्री महतो के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई।

श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-4984, दिनांक 05.07.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। इसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-97, दिनांक 09.01.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि- "प्रपत्र-'क' गठन के बाद भी लक्ष्य के अनुरूप प्रगति संतोषजनक नहीं है।"

श्री महतो के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण, इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा गठित मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय संकल्प सं0-1726 (HRMS) दिनांक 11.04.2019 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत 'निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री महतो द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपालक सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1532, दिनांक 27.06.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री महतो द्वारा अपने अभ्यावेदन में कहा गया है कि उन पर दिनांक 04.07.2017 को प्रपत्र-'क' गठित किया गया एवं स्थानांतरण होने के कारण वे दिनांक 16.08.2017 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा के पद पर योगदान किये। मात्र डेढ़ माह की अवधि में प्रखण्ड में विकास कार्यों की तुलना कर उन्हें आरोपित किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विशनुगढ़ प्रखण्ड में उनके कार्य अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में क्रमशः 108% एवं 127% मानव दिवस का सृजन श्रम बजट के विरूद्ध किया गया एवं मनरेगा के अन्य आयामों यथा- जाब कार्ड वेरिफीकेशन, डी०बी०टी०, डोभा की पूर्णता, विलम्ब भुगतान की स्थिति से काफी सुधार किया गया, जो एम०आई०एस० से स्पष्ट है।

श्री महतो द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो अधिसूचना सं०-1898, दिनांक 12.03.2014 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशनुगढ़, हजारीबाग में पदस्थापित थे। प्रपत्र-'क' के साथ संलग्न अनुलग्नक-2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास विभाग एवं मुख्य सचिव स्तर से आयोजित विडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से बार-बार दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 04.04.2017 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा बैठक की गई थी एवं उसी आधार पर उनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित किया गया

हैं। श्री महतो का यह कथन कि मात्र डेढ़ माह की अवधि में प्रखण्ड में विकास कार्यों की तुलना कर उन्हें आरोपित किया गया है, सही नहीं है। श्री महतो द्वारा दिनांक 10.01.2018 को समर्पित स्पष्टीकरण सभी सक्रिय मजदूरों का DBT के माध्यम से भुगतान न होने, डोभा निर्माण के कुल लक्ष्य 988 के विरूद्ध मात्र 475 डोभा का कार्य प्रारंभ होने एवं पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में लम्बित पुरानी योजनाओं को पूर्ण करने संबंधी निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन न होने की बात स्वयं स्वीकार की गयी है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री महतो द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत अधिरोपित 'निन्दन' का दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	RANTHU MAHTO JHK/JAS/127	श्री रंथु महतो, झा०प्र०से०, (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशनुगढ़, हजारीबाग द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत अधिरोपित 'निन्दन' का दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 845 -- 50